

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-12) विभाग

क्रमांक: प.1(2)गृह-12/कारा/2021

जयपुर, दिनांक 18/10/21 11 2 OCT 2021

—: आदेश :—

राजस्थान कारागार सेवा नियम 1959 के नियम 24 के अंतर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 20.09.2021 को राजस्थान कारागार सेवा के **अधीक्षक ग्रेड-1** के पदों पर वर्ष 2019-2020 एवं 2020-2021 की नियमित डीपीसी हेतु विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा की गई अभिशंषाओं के आधार पर राजस्थान कारागार सेवा में **अधीक्षक ग्रेड-1** से निम्नांकित अधिकारियों का वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर उनके सामने अंकित चयन वर्ष में राजस्थान कारागार सेवा में **अधीक्षक ग्रेड-1** के पद पर पदोन्नत किया जाता है—

क्र.स.	अधिकारी का नाम	चयन वर्ष	पदोन्नति दिनांक
1.	श्री मोईनुद्दीन पठान	2019-2020	01.04.2019
2.	श्री प्रदीप लखावत	2020-2021	01.08.2020
3.	श्री राजपाल सिंह	2020-2021	01.08.2020

उक्त अधिकारियों को पदोन्नति हेतु चयन वर्ष में उपलब्ध रिक्ति की तिथि से पदोन्नति का नोशनल लाभ देय होगा एवं **अधीक्षक ग्रेड-1** के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वास्तविक लाभ देय होगा।

आज्ञा से,

s/d
(भवानी शंकर)

वरिष्ठ शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान
2. वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव, गृह
4. महानिदेशक कारागार, राजस्थान जयपुर
5. महालेखाकार, (लेखा सिविल परीक्षा), राजस्थान, जयपुर
6. संबंधित अधिकारीगण मार्फत महानिदेशक कारागार
7. प्रोग्रामर, गृह (ग्रुप-6) विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
8. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ शासन उप सचिव